## खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 10)

[ 22 मार्च, 2006]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1.~(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, 2006 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त, विनिर्दिष्ट करे।
- 1956 का 61 2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल धारा 2 का संशोधन। अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,—
  - (i) खंड (चच) में "दस हजार" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) खंड (ज) के उपखंड (i) में,—
    - (अ) ''पन्द्रह हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;
    - (आ) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परंतु यह और कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित किसी उद्योग की दशा में, इस उपखंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो ''एक लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख पचास हजार रुपए,'' शब्द रखे गए हों;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा ४ का संशोधन।

- (क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
- ''(1क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का निर्वहन, जिसके अंतर्गत आयोग के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन भी है, आयोग में निहित होगा।'';
- (ख) उपधारा (2) में,—
- (i) खंड (क) में , ''जिन्हें खादी और ग्रामोद्योगों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव है'' शब्दों के स्थान पर ''जिन्हें खादी या ग्रामोद्योगों का विशिष्ट ज्ञान और कम से कम दस वर्ष का अनुभव है'' शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—
  - "(ख) चार गैर सरकारी सदस्य, जिनमें से प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित विद्या की शाखाओं में से होगा, अर्थातु:—
    - (i) एक सदस्य, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञीय जानकारी और अनुभव है;

- (ii) एक सदस्य, जिसे विपणन में विशेषज्ञीय जानकारी और अनुभव है;
- (iii) एक सदस्य, जिसे ग्रामीण विकास में विशेषज्ञीय जानकारी और अनुभव है; और
  - (iv) एक सदस्य, जिसे तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुभव है;";
- (iii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- ''(खक) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के 1955 का 23 अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष, या कोई अधिकारी, जो उपप्रबंध निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए—पदेन;'';
- (iv) खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
  - ''(ग) एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन; और
- (घ) एक वित्त सलाहकार, जो आयोग का मुख्य लेखा अधिकारी भी होगा, पदेन।'';
- (v) खंड (घ) के पश्चात् परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 5 का संशोधन।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,---
  - (क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—
  - ''(1) धारा 4 की उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग के कार्यकलापों और उसके दिन प्रति दिन के प्रबंध के संबंध में साधारण अधीक्षण के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।
  - (1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शिक्तयों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध के अधीन ऐसी शिक्तयों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा।'';
- (ख) उपधारा (2) में, ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी,'' शब्दों के स्थान पर ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शिक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 5क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5क में ''धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त वित्त सलाहकार आयोग के सभी वित्तीय विषयों का, जिसके अंतर्गत उसका बजट, लेखा और लेखापरीक्षा भी है, भारसाधक होगा'' शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के स्थान पर ''धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त वित्त सलाहकार आयोग के ऐसे वित्तीय विषयों का जो विहित किए जाएं जिनके अंतर्गत उसका बजट, लेखा और लेखापरीक्षा भी है, भारसाधक होगा'' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

- 6. मूल अधिनियम की धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और,—
- (क) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में ''खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर ''राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
  - "(2) बोर्ड उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, जिसके अंतर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं"।
    - (3) बोर्ड, वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन करेगा।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, ''उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की <sub>धारा 12 का</sub> बहुसंख्या'' शब्दों के स्थान पर ''उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की(जिनके अंतर्गत पदेन सदस्य भी संशोधन हैं) बहुसंख्या'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 12क का अंत:स्थापान।

''12क. (1) आयोग, धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट छह भौगोलिक अंचलों आंचलिक समिति। में से प्रत्येक के लिए एक आंचलिक सिमिति का गठन करेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

- (क) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अंचल का प्रतिनिधित्व करने वाला गैर सरकारी सदस्य, जो संबंधित अंचल के लिए गठित आंचलिक समिति का अध्यक्ष
- (ख) अंचल में, यथास्थिति, राज्यों के प्रत्येक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या प्रत्येक राज्य सरकार का एक ऐसा प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसुचित किया जाए—सदस्य;
- (ग) आयोग का आंचलिक उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो आंचलिक समिति का संयोजक होगा—सदस्य;
  - (घ) अंचल में राज्यों के आयोग निदेशालयों के भारसाधक राज्य निदेशक— सदस्य;
- (ङ) अंचल में कार्यरत अग्रणीय बैंकों में से एक बैंक का आंचलिक या प्रादेशिक प्रबंधक—सदस्य: और
- (च) अंचल में प्रत्येक राज्य से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिस्चित ख्यातिप्राप्त किसी ऐसी संस्था का एक प्रतिनिधि जो खादी या ग्रामोद्योग सेक्टर में कम से कम दस वर्ष तक कार्य कर रहा हो और जिसके कार्य का रिकार्ड अच्छा हो—सदस्य।
- (2) आंचलिक समिति, ऐसे समयों और स्थानों पर अधिवेशन करेगी और वह उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं:

परंतु समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी।

- (3) सिमति के अधिवेशन में आंचलिक सिमति का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा।
- (4) आंचलिक समिति साधारणतया परामर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी और तदनुसार अन्य बातों के साथ-साथ-
  - (क) अंचल में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए आयोग के कार्यक्रमों और स्कीमों से संबंधित जानकारी के प्रसारण के लिए एक नलिका के रूप में कार्य करेगी;
  - (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन को समय-समय पर मानिटर करेगी:
  - (ग) परिकल्पित समस्याओं और कठिनाइयों पर तथा खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन में लगे हुए बैंकों, स्वैच्छिक अभिकरणों, कारीगरों और अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर आयोग को पोषक जानकारी देगी।"।

धारा 13 का **9.** मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, ''पांच वर्ष की अविध के लिए'' शब्दों के स्थान संशोधन। पर ''केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत, जो पांच वर्ष की सतत् अविध से अधिक नहीं होगा,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

- 10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—
- (क) उपधारा (1) में ''उसके विकास की योजना बनाना, उसका संवर्धन, संगठन और सहायता करना'' शब्दों के स्थान पर ''उसके विकास की योजना बनाना, उसका संवर्धन करना, उसे सुकर बनाना, संगठित करना और उसकी सहायता करना'' शब्द रखे जाएंगे;

## (ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में ''योजना बनाना और उसे संगठित करना'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्यक्षत: या विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से योजना बनाना और उसे संगठित करना'' शब्द रखे जाएंगे;

## (ii) खंड (ख) में,—

- (अ) '' भंडार तैयार करना'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्यक्षत: या विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से भंडार तैयार करना'' शब्द रखे जाएंगे;
- (आ) ''ऐसी दरों से प्रदाय करना जो आयोग विनिश्चय करे'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी दरों से जो आयोग विनिश्चय करे, प्रदाय करना या कच्ची सामग्री और उपकरणों के प्रदाय की व्यवस्था करना'' शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) खंड (छ) में ''वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्यक्षत: या विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना'' शब्द रखे जाएंगे;
- (iv) खंड (ज) में ''ऐसे प्रयोग या आरंभिक परियोजनाओं को हाथ में लेना'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्यक्षत: या विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से ऐसे प्रयोग करना या आरंभिक परियोजनाएं प्रारंभ करना'' शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उपधारा (2) के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

'स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (छ) और खंड (ज) के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अभिकरणों'' पद से ऐसे अभिकरण अभिप्रेत हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।'।

11. मूल अधिनियम की धारा 19क की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त सलाहकार धारा 18 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीन पृथक् निधियों में से प्रत्येक के संबंध में स्थायी वित्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।''।

धारा 19क का संशोधन।

- 12. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के पश्चात् अंत में निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
  - "(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् किसी समय, धारा 4 के उपबंधों के अनुसार आयोग को पुन:स्थापित कर सकेगी और आयोग के पुन:स्थापन की तारीख से ही ऐसी संपत्तियां और निधियां, जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन पहले केन्द्रीय सरकार में निहित थी, इस प्रकार पुन:स्थापित आयोग में निहित हो जाएंगी।"।

धारा 26 का 13. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड संशोधन। अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(कक) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्तयां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(कख) ऐसे वित्तीय विषय जिनके संबंध में वित्त सलाहकार धारा 5क के अधीन भारसाधक होगा;

(कग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों में कारबार का संव्यवहार;"।

14. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में, —

धारा 27 का संशोधन।

- (i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- ''(खक) धारा 12क की उपधारा (2) के अधीन आंचलिक सिमिति के अधिवेशनों में कारबार का संव्यवहार;'';
- (ii) खंड (ग) में ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

SERVER 5 \ BILL\_2007 \ OLW \ 2708OLW 3